[20/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 1537]

ता. प्रश्न क्र. 1537
मा. विधायक श्री सुनील उईके
ध्यान में उत्तर देने हेतु 20/2/26

परिशिष्ट
(1/2)

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्रमांक 984 /मप्रविनिआ/2021 — विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (1) तथा 181 (2) (यक एवं यख) सहपठित धारा 57, 59 तथा 86 (1) (झ) एवं विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 12 नवम्बर, 2012 को अधिसूचित मप्रविनिआ (वितरण अनुपालन मानदण्ड) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय—पुनरीक्षण) विनियम 2012 में प्रथम संशोधन {एआरजी—8(II)(i)वर्ष, 2021}

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :— 1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण—द्वितीय) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 (एआरजी—8(II)(i)वर्ष 2021)" कहलाएंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. अध्याय—7 में संशोधन

प्रधान विनियमों में विनियम 7.3 के पश्चात, निम्न विनियम जोड़े जाएं, अर्थात :

7.4 आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये निम्न मानदण्डों का प्रावधान करेगा :

(क) वर्ष में प्रति उपभोक्ता विद्युत कटौती की अवधि और आवृत्ति

एक. प्रणाली औसत व्यवधान अवधि सूचकांक (एसएआईएफआई)

दो. प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एसएआईएफआई)

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 'एसएआईडीआई' या 'एसएआईएफआई', यथास्थिति, की गणना के लिये विचारित न्यूनतम विद्युत अवरोध/कटौती (आउटेज) समय (मिनटों में) को आयोग द्वारा पृथक से आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

7.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी केवल कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर जिन्हें पृथक कृषि संभरकों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जाएगी, 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी कृषि उपभोक्ता को प्रतिदिन न्यूनतम 10 घंटे हेतु विद्युत की आपूर्ति करेगा।

अनुभाग अधिकारी
... विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

परिशिष्ट : अ

सेवा क्षेत्र	प्रत्याभूतित मानदण्ड	प्रभावित उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति
(iii) वितरण ट्रांसफार्मर के विफल होने पर		
संभागीय मुख्यालयों में, ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	12 घंटे के भीतर	
संभागीय मुख्यालयों को छोड़कर, शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	24 घंटे के भीतर	विशिष्ट ट्रांसफार्मर के माध्यम से सेवाकृत समस्त उपभोक्ताओं को प्रति उपभोक्ता रू. 100 की दर से
ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	शुष्क मौसम के दौरान 72 घंटे के भीतर तथा मान्सूत्र (मानसून) मौसम के दौरान (माह जुलाई से सितम्बर तक) सात दिवस के भीतर	

अनुभाग अधिकारी
म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल